

कार्यालय भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण

क्रमांक:- 3718-19/18

दिनांक:- १/११/१८

संशोधित भवन निर्माण अनुमति पत्र

मै० इनोवेटिव कोलोनाईजर्स प्रा० लि०,
मै० कोसमोस इन्फ्रा इन्जीनियरिंग (इण्डिया) लि०
पता:- 4 बेट्टी लेन राजपुर रोड सिविल लाईन दिल्ली

विषय:- मै० इन्डोवेटिव कोलानाईजर्स प्रा० लि०, मै० कोसमोस इन्फ्रा इन्जीनियरिंग (इण्डिया) लि० द्वारा ग्राम सैदपुर के ख०न० 633/518, 519, 520, 521, 536, 649/537, 651/538, 653/542, 550, 551, 522, 527, 534, 535, 548, 549, 546, 547, 543, 544 ग्राम खानपुर के खसरा नं० 820/525, 522, 523, 524, 820/525, 527 क्षेत्रफल 129674 वर्ग मी० भूमि के आवासीय परियोजना के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत ।

सन्दर्भ:- आपका आवेदन पत्र दिनांक 06.06.2018

आपका आवेदन दिनांक. 06.06.2018 द्वारा मै0 ईनोवेटिव कोलोनाईजर्स प्रा0 लि0, मै0 कोसमोस इन्फ्रा इन्जीनियरिंग (इण्डिया) लि0 द्वारा ग्राम सैदपुर के ख0न0 633/518, 519, 520, 521, 536, 649/537, 651/538, 653/542, 550, 551, 522, 527, 534, 535, 548, 549, 546, 547, 543, 544 ग्राम खानपुर के खसरा नं0 820/525, 522, 523, 524, 820/525, 527 क्षेत्रफल 129674 वर्ग मी0 भूमि का आवासीय परियोजना के संशोधित भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए हैं। उक्त संशोधित भवन मानचित्रों को भवन मानचित्र समिति बीडा भिवाडी की 01 (प्रथम) बैठक दिनांक 20.06.2018 के एजेण्डा सं0 06 पर लिये गये निर्णय अनुसार 30 मी0 ऊँचाई तक के मानचित्र निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत किए जाते हैं तथा 30 मी0 से ऊपर की ऊँचाई के भाग बाबत राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त जारी किये जावेंगे:-

01. यह स्वीकृति आवंटन पत्र/लीजडीड में उल्लेखित शर्तों के अध्याधीन, मूल स्वीकृति से अधिकतम 5 वर्ष हेतु मान्य होगी तथा समिति के निर्णयानुसार उक्त स्वीकृति की अवधि 2 वर्ष बढ़ाई जाती है तथा पूर्व स्वीकृति की समस्त शर्तें मान्य होगी।
02. प्रस्तुत मानचित्रों में प्रस्तावित नवीन टावर 1 से 9 बी.ए.आर. 59538.86 वर्ग मी० एवं ब्लक हाउस का 315 वर्ग मी० स्वीकृत किया जाता है। शेष समस्त स्वीकृतियों पूर्व स्वीकृत मानचित्रों अनुसार मान्य होगी।
03. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्रों एवं एकीकृत भवन विनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
04. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जाएगा।
05. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति प्रचलित मास्टर प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, न्यास को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी न्यास में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
06. उक्त स्वीकृति के कारण यदि न्यास को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
07. विकासकर्ता द्वारा प्लिन्थ लेवल, जी+1 एवं समय समय पर निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से न्यास को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा (अनुज्ञा प्रमाणपत्र, India) Pvt. Ltd.
08. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत ईकाई एवं स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
09. स्वामी तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में निर्माण कार्य करवायेगा। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घण्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में न्यास को देनी होगी।

g

10. स्वीकृत मानचित्र मौके पर, निर्माण पूर्ण होने तक उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
11. भवन परिसर में ही आगुन्तकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगुन्तकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
12. आवासीय भवन हेतु आन्तरिक विकास यथा जल वितरण, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत वितरण, सडकें, टेलीफोन लाईन, वर्षा जल संग्रहण, संरचना, स्नानाघर, तथा रसोई के अवशिष्ट जल के शुद्धिकरण हेतु रिसाईकिलिंग की व्यवस्था आदि की समस्त जिम्मेदारी विकास कर्ता की होगी।
13. प्रस्तुत भवन मानचित्रों में वर्षा जल संग्रहण संरचना एवं इस से संबंधित प्रावधानों की पालना एकीकृत भवन विनियम 2017 के प्रावधान अनुसार इसकी पालना सुनिश्चित कि जावे।
14. पार्किंग का प्रावधान एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुरूप रखा जाना होगा एवं वाहनो के घूमने/पार्क करने हेतु आवश्यक प्रावधान आवेदक/वास्तुविद द्वारा सुनिश्चित करने होंगे मानचित्र में दर्शाये गये अनुसार पार्किंग क्षेत्र हेतु ही आरक्षित रखा जावेगा। इस में किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा।
15. भवन मानचित्र जारी करने के उपरान्त अन्य शुल्क/ बकाया राशि न्यास द्वारा मांग की जाती है तो विकासकर्ता द्वारा वह राशि न्यास कोष में जमा करानी होगी।
16. भवन विनियमों में उल्लेखित अन्य सम्बन्धित प्रावधानों की पालना विकास कर्ता द्वारा की जायेगी।
17. भवन का कुर्सी तल, सडक के तल से न्यूनतम 0.5 मी० रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।
18. भूखण्ड में प्रत्येक 100 वर्ग मी० क्षेत्रफल के लिए कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो 6 मीटर या इससे अधिक उँचाई ग्रहण कर सकते हों, लगाने होंगे।
19. न्यास की अभियांत्रिकी शाखा द्वारा किये जा रहे निर्माण का निरीक्षण कर सत्यापन किया जावेगा।
20. एकीकृत भवन विनियम 2017 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधान के अनुसार अग्नि शमन सुरक्षा संबंधित समस्त प्रावधान सुनिश्चित करने होंगे।
21. अधिवास प्रमाण पत्र भवन निर्मित होने के उपरान्त आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा।
22. एकीकृत भवन विनियम 2017 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड, आई.एस. कोड के प्रावधान के अनुसार भूकम्परोधी भवन हेतु भवन संरचना डिजाईन की जाकर तदनुसार संरचनात्मक सुरक्षित भवन बनाये जाने की जिम्मेदारी आवेदक एवं वास्तुविद की होगी।
23. भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्ररम्भ करने से पूर्व प्राविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्राप्त कर आवेदक द्वारा न्यास में प्रस्तुत करगा सुनिश्चित किया जावेगा तथा अधिवास प्रमाण पत्र से पूर्व अग्निशमन अनापत्ति नियमानुसार प्राप्त करनी होगी।
24. नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक F.18(56)UDH/Sub-Group/2015 Date 09-03-2017 के अनुसार परियोजना में सभी भवनों/ब्लॉक्स में Green Roof Top रखा जाना एवं Eco-friendly भवनों हेतु प्रावधान रखा जाना पर्यावरण की दृष्टि से उचित होगा।
25. भवन विनियम एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार समस्त प्रावधानों/शर्तों की पूर्ति आवेदक/वास्तुविद द्वारा सुनिश्चित करने होंगे।
26. नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाईन्स की पालना विकासकर्ता द्वारा सुनिश्चित की जावेगी तथा इस बाबत विकासकर्ता से शपथ पत्र भी लिया जावेगा।
27. पर्यावरण विभाग भारत सरकार की अधिसूचना एवं प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने तथा तदनुसार प्रावधान रखने की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
28. भिवाडी सी.ई.टी.पी. से निकलने वाले परिशाधित जल का उपयोग निर्माण कार्य में किया जाना होगा।

ऊपर वर्णित शर्तों एवं भवन विनियम के प्रावधानों के तहत अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।


वरिष्ठ नगर नियोजक
बीडा भिवाडी

संलग्न:- भवन मानचित्र (7)

क्रमांक: आयोजना/For Cosmos Infra Engineering (India) Pvt. Ltd.

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, बीडा भिवाडी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

दिनांक:

वरिष्ठ नगर नियोजक
बीडा भिवाडी

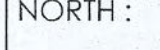
60	
15 club,	

Director

AREA DETAIL AS PER APPROVED MAP (EXISTING)										
S. NO.	PLOT AREA (SQ.MT.)	F.A.R. (SQ.MT.)			GROUND COVERAGE		PARKING		GREEN AREA	
		PERMISSIBLE	ACHIEVED	FIRECESS CALCULATION	PERMISSIBLE (95%)	ACHIEVED	PERMISSIBLE	ACHIEVED	PERMISSIBLE	ACHIEVED
1	54814	91539.00 [1.67]	66711.47	OLD APPROVED (N.A.)	19184.90	14520.04 [26.49%]	863	993	APPROVED= 2461.37	ABOVE BASEMENT = 2461.37 (4.49%)
2	8290	14760.00 [1.80]	132888.836	UP TO S+12 FLOOR VILLA TYPE I, II, III, & IV, IND. TYPE FLOORS TYPE A & B (HT. UPTO 40M)	23025.80	18861.032 [28.67%]	2215	2372	SURFACE = 3289.40 (5%) PODIUM = 9868.20 [15%]	SURFACE AREA = 4330.92 (6.58%) PODIUM AREA = 11686.36 [17.76%]
3	57588	105386.04[1.83]								
4	397 (ROAD F.A.R.)	397.00 [1.00]								
5	PAID F.A.R.	1025.43								
					17883.588					
	RESIDENTIAL= 126002	213107.47	199600.306	199600.306	42210.70	33381.072 [27.68%]	3078	3365	156+18.97 [12.95%]	18477.65 [15.32%]
6	COMMERCIAL= 5072	12065.76 [1.33] +33% OF ACHIEVED F.A.R. = 5988.009 = 18053.77	BUILDING PLAN NOT SUBMITTED		2870.00	NIL	NOT SUBMITTED	NIL	NIL	NIL
	TOTAL = 129674									

ADDRESS :
PROPOSED RESIDENTIAL GROUP HOUSING FOR
COSMOS GREENS OF M/S COSMOS INFRA
ENGINEERING (INDIA) LTD. & M/S INNOVATIVE
COLONISERS PVT. LTD. AT KHASRA NO.-518-527,
534-538, 543-551 VILL. SAIDPUR (BHIWADI),
DISTT.-ALWAR(RAJASTHAN)

SHEET TITLE :		
SITE PLAN		
TYPE :	DATE :	NORTH :
SITE PLAN	30-05-2018	
SHEET NO :	SCALE :	
01/08	N.T.S.	

TYPE :	DATE :	NORTH :
SITE PLAN	30-05-2018	
SHEET NO : 01/08	SCALE : N.T.S.	

अनुमोदित

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, मल, विकास
अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड
ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के
प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को
सुनिश्चित किया जायेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14/09/2006
की पालना में राज्य सरकार के परिचय दिनांक
04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक
का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रभाव
पत्र" अनापूर्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया
जाना अनिवार्य होगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी
भाति प्रशन्नगत भूमि/भूखण्ड के प्राति
स्वाभित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना
जायेगा। और न ही इससे किसी के स्वाभित्व
सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

Applicants Should get the
construction checked at plinth
level before proceeding for
further construction.

प्रस्तावित भवन विनियम 2017 के विना विवेको के अनुसार
कईतरा संशोधन का अवलोकित भवन में विशेष प्रावधान
रखा जाये अतः भवन प्लान द्वारा भवन निर्माण के विषय
में निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व पर्यावरण प्रभाव पत्र
अनापूर्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया
जाना अनिवार्य होगा।

Parking Area Will be Bida Property

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जायेगा।

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

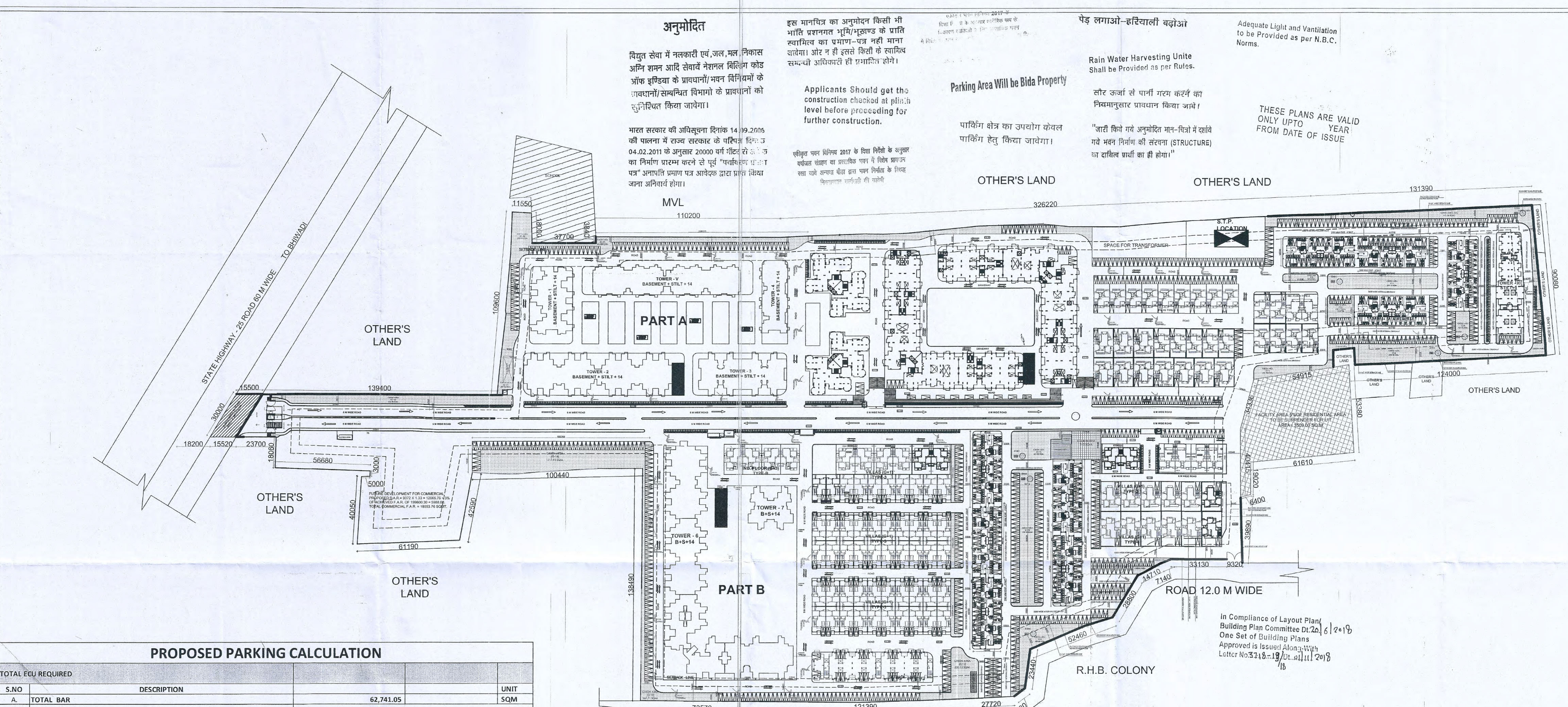
Rain Water Harvesting Unite
Shall be Provided as per Rules.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

"जारी किये गये अनुमोदित प्लान-रिजो में दर्शाये
गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE)
का दायित्व प्राप्ति का ही होगा।"

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UP TO 1 YEAR
FROM DATE OF ISSUE



PROPOSED PARKING CALCULATION

TOTAL ECU REQUIRED			
S.NO	DESCRIPTION		UNIT
A.	TOTAL BAR	62,741.05	SQM
1	REQUIRD ECU (A/115)	545.57	NOS.
2	REQUIRED VISITOR ECU		
a	25% OF 1ST 100 NOS. ECU OF REQUIRD RESIDENTIAL ECU	25.00	NOS.
b	20% OF 2ND 100 NOS. ECU OF REQUIRD RESIDENTIAL ECU	20.00	NOS.
c	15% OF 3RD 100 NOS. ECU OF REQUIRD RESIDENTIAL ECU	15.00	NOS.
d	10% OF REMAINING ECU OF REQUIRD RESIDENTIAL ECU	24.56	NOS.
	NET REQUIRED VISITOR ECU (a+b+c+d)	84.56	NOS.
3	TOTAL REQUIRED ECU	630.13	NOS.
	SAY	631.00	NOS.
A	75% OF TOTAL REQUIRED ECU FOR CAR PARKING	473.25	474 NOS.
B	25% OF TOTAL REQUIRED ECU FOR SCOOTER PARKING	157.75	474 NOS.

PROPOSED PARKING DETAIL

A	OPEN CAR PARKING	356	OPEN AREA	NOS.
B	COVD. CAR PARKING	144	COVD. PARKING	NOS.
TOTAL PROPOSED CAR PARKING (A+B)			500	NOS.
A	OPEN SCOOTER PARKING	76	OPEN AREA	NOS.
B	COVD. SCOOTER PARKING	585	COVD. PARKING	NOS.
TOTAL PROPOSED SCOOTER PARKING (A+B)			661	NOS.

PREVIOUSLY APPROVED PARKING DETAIL CHART

TOTAL PREVIOUSLY APPROVED FAR (A) 199400.306 SQM.
OLD APPROVED FAR (B) 64711.47 SQM.
PERVIOUSLY APPROVED FAR IN 2013 (C) 132888.836 SQM.
TOWER VIII, IX & X APPROVED FAR (D) 4037.3 SQM.
NET FAR FOR PARKING (A-B-D) 87851.536 SQM.

REQUIRED ECU = 87851.536 / 75
VISITORS PARKING @ 25%
TOTAL ECU REQUIRED
EWS & LIG PARKING REQUIRED 144 NOS.

REQUIRED CARS 1464 X 25%
REQUIRED SCOOTERS 1464 X 20% +144 (EWS + LIG)
REQUIRED CYCLES 1464 X 5%
FIRST PHASE APPROVED PARKING
REQUIRED CARS = 993 X 50%
REQUIRED SCOOTERS = 993 X 40% = 397 X 3
REQUIRED CYCLES = 993 X 10% = 99 X 6
TOTAL ECS AS PER FIRST PHASE APPROVED PLAN
TOTAL ECS AS PER APPROVED IN 2013 PLAN
TOTAL CAR REQUIRED (1098 + 497)
TOTAL SCOOTERS REQUIRED (1023 + 1191)
TOTAL CYCLES REQUIRED (439 + 594)

TOTAL ECU REQUIRED (1595 + 2214/3 + 1033/6)
TOTAL ECU PROVIDED (1684 + 2219/3 + 1033/6)
REQUIRED PARKING OF TOWER 1 TO 9 AS PER BAR
PROPOSED CAR PARKING
PROPOSED SCOOTER PARKING (661/3)
TOTAL ECU PROPOSED + EXISTING REQUIRED
TOTAL ECU PROVIDED

ROAD 12.0 M WIDE R.H.B. COLONY ROAD 12.0 M WIDE

परिच नगर नियोजक
मिवाडी इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास प्राधिकरण (सीए)

परिच नगर नियोजक
मिवाडी इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास प्राधिकरण (सीए)

ACHIEVED CARS			
TOTAL NO. ECU IN BASEMENT	505 ECU	TOTAL NO. ECU IN BASEMENT	208 ECU
TOTAL NO. OF CARS	505 ECU	TOTAL NO. OF SCOOTERS	624 NOS.
TOWER I TO V	202 ECU	TOWER I TO V	99 NOS.
TOWER VI TO VII	178 ECU	TOWER VI TO VII	194 NOS.
TOWER VIII TO IX	0 ECU	TOWER VIII TO IX	0 NOS.
TOWER X	0 ECU	TOWER X	0 NOS.
FIRST PHASE APPROVED	125 ECU	FIRST PHASE APPROVED	331 NOS.
TOTAL	505 ECU	TOTAL	624 NOS.
TOTAL NO. OF ECU IN STILT	691 ECU	TOTAL NO. OF ECU IN STILT	392 ECU
TOTAL NO. OF CARS	691 ECU	TOTAL NO. OF SCOOTERS	1176 NOS.
TOWER I TO V	331 ECU	TOWER I TO V	390 NOS.
TOWER VI TO VII	255 ECU	TOWER VI TO VII	176 NOS.
TOWER VIII TO IX	0 ECU	TOWER VIII TO IX	0 NOS.
TOWER X	0 ECU	TOWER X	0 NOS.
FIRST PHASE APPROVED	105 ECU	FIRST PHASE APPROVED	610 NOS.
TOTAL	691 ECU	TOTAL	1176 NOS.
TOTAL ECU WITHOUT TOWER VIII, IX & X	1963 ECU	TOTAL ECU WITHOUT TOWER VIII, IX & X	488 NOS.
OPEN CAR PARKING IN APPROVED TOWERS	419 NOS.	OPEN SCOOTER PARKING IN APPROVED TOWERS	38 NOS.
OPEN CYCLE PARKING IN APPROVED TOWERS	1684 NOS.	TOTAL CAR PARKING PROVIDED	2219 NOS.
TOTAL SCOOTERS PARKING PROVIDED	1033 NOS.	TOTAL CYCLE PARKING PROVIDED	1033 NOS.

ARCHITECTS :
Shilpkaar Architects Pvt. Ltd.
Sustainable Green Architecture
architects, engineers, valuers, project managers
OFF. - 909, 9th Fl., ILB-Trade Centre, Sec.-47, Sohna Road, Gurgaon,
Ph. No. - 0124-4361909, 2217088
OFF. - Hotel Regency Complex Bhiwadi (Rajasthan)
Ph. No. - 01493-221766, 222652
OFF. - 307, 308, Central Plaza, CC2, EPIP, Neemrana (Rajasthan)
e-mail - info@saplind.in, infoggn@saplind.in, infonnm@saplind.in

Cosmos Infra Engineering (India) Pvt. Ltd.
Authorised Signatory
Signature of Owner
Architect Shailendra Singh Sengar
Signature of Architect F.I.V. A.I.I.D.
Regd. Architect
CGA No.: 26084/2075

ADDRESS :
PROPOSED RESIDENTIAL GROUP HOUSING FOR
COSMOS GREENS OF M/S COSMOS INFRA
ENGINEERING (INDIA) LTD. & M/S INNOVATIVE
COLONISERS PVT. LTD. AT KHASRA NO.-518-527,
534-538, 543-551 VILL. SAIDPUR (BHIWADI),
DISTT.-ALWAR(RAJASTHAN)

SHEET TITLE :
PARKING PLAN
TYPE : PARKING PLAN
DATE : 30-05-2018
SHEET NO : 02/08
SCALE : N.T.S.
NORTH :
Director

अनुमोदित

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, मल, निकास
अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड
ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के
प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को
सुनिश्चित किया जायेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाति प्रशानगत भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति स्वाभित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। ओर न ही इससे किसी के स्वाभित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

Rain Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per Rules.

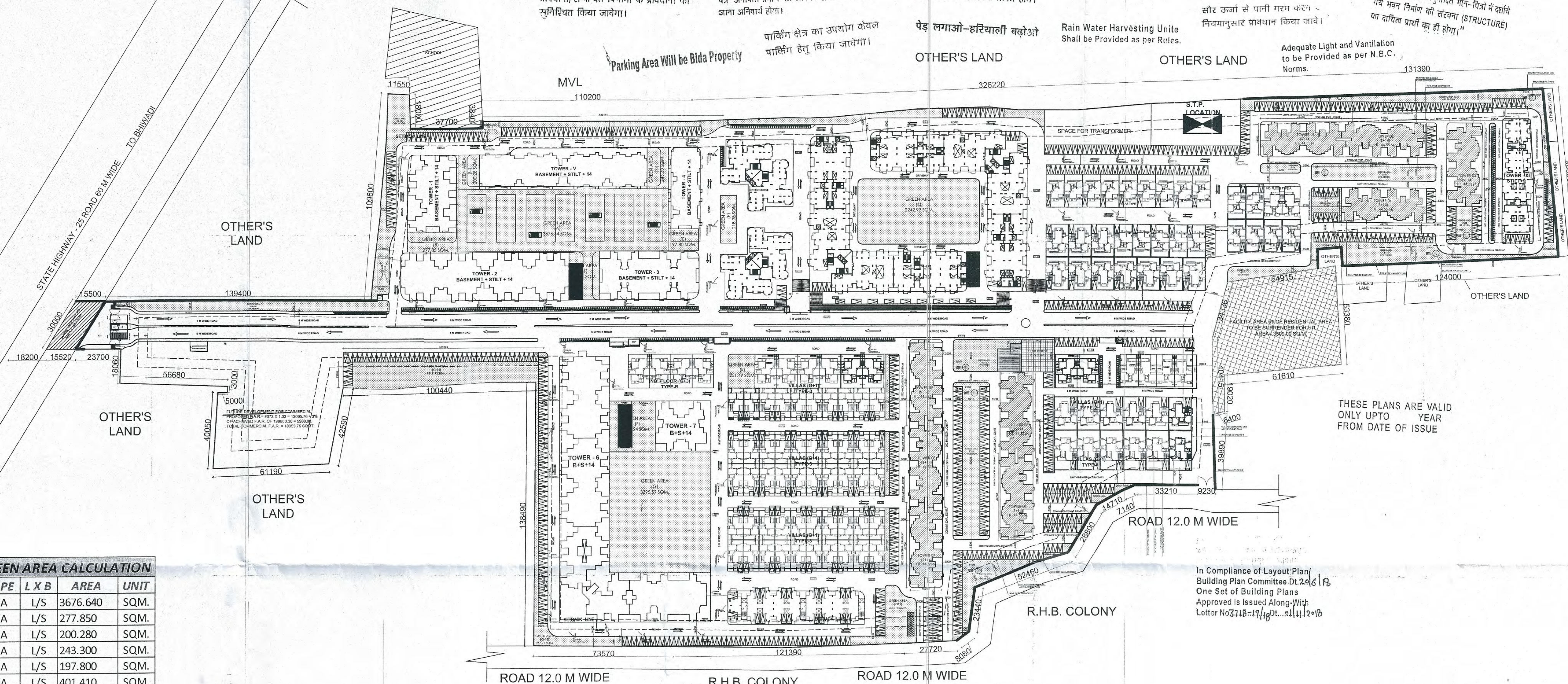
OTHER'S LAND

एकिकृत भवन विनियम 2017 के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्षाजल संग्रहण का प्रस्ताविक भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्यथा बीडा द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध विद्यमानसार कार्रवाई की जावेगी

सौर ऊर्जा से पानी गरम करके
नियमानुसार प्रावधान किया जावे

Adequate Light and Vantilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"



THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO YEAR
FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 20/6/18
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No 3718-19/18 Dt. 01.11.2018

PREVIOUSLY APPROVED GREEN AREA CALCULATION					
S.NO	GREEN AREA NAME	SHAPE	L X B	AREA	UNIT
1	A	N/A	L/S	3676.640	SQM.
2	B	N/A	L/S	277.850	SQM.
3	C	N/A	L/S	200.280	SQM.
4	D	N/A	L/S	243.300	SQM.
5	E	N/A	L/S	197.800	SQM.
6	E1	N/A	L/S	401.410	SQM.
7	F	N/A	L/S	597.240	SQM.
8	G	N/A	L/S	3395.590	SQM.
9	K	N/A	L/S	251.490	SQM.
10	L	N/A	L/S	1290.860	SQM.
11	O	N/A	L/S	2242.990	SQM.
12	P	N/A	L/S	218.380	SQM.
TOTAL				12993.830	SQM.

PROPOSED SURFACE GREEN AREA CALCULATION					
S.NO	GREEN AREA NAME	SHAPE	L X B	AREA	UNIT
1	G - 01	N/A	L/S	641.560	SQM.
2	G - 02	N/A	L/S	107.400	SQM.
3	G - 03	N/A	L/S	595.400	SQM.
4	G - 04	N/A	L/S	170.270	SQM.
5	G - 05	N/A	L/S	182.150	SQM.
6	G - 06	N/A	L/S	690.780	SQM.
7	G - 07	N/A	L/S	181.200	SQM.
8	G - 08	N/A	L/S	0.000	SQM.
9	G - 09	N/A	L/S	480.680	SQM.
10	G - 10	N/A	L/S	799.200	SQM.
11	G - 11	N/A	L/S	427.200	SQM.
12	G - 12	N/A	L/S	530.150	SQM.
13	G - 13	N/A	L/S	267.710	SQM.
14	G - 14	N/A	L/S	0.000	SQM.
15	G - 15	N/A	L/S	0.000	SQM.
16	G - 16	N/A	L/S	754.280	SQM.
17	G - 17	N/A	L/S	307.060	SQM.
18	G - 18	N/A	L/S	318.380	SQM.
19	G - 19	N/A	L/S	454.880	SQM.
TOTAL				6908.300	SQM.

GREEN AREA CALCULATONS			
GREEN AREA APPROVED FOR PLOT AREA 54814 SQ.MTR (O+P) = (X)	2461.37	SQM.	
REQUIRED GREEN AREA 20% OF 65788 SQ.MTR. RESIDENTIAL PLOT AREA (Y)	13157.6	SQM.	
REQUIRED GREEN AREA ON SURFACE 5% OF 65788 SQ.MTR. RESIDENTIAL PLOT AREA	3289.4	SQM.	5.00
REQUIRED GREEN AREA ON PODIUM 15% OF 65788 SQ.MTR. RESIDENTIAL PLOT AREA	9868.2	SQM.	15.00
REQUIRED GREEN AREA OF TOTAL RESIDENTIAL PLOT AREA (X+Y)	15618.97	SQM.	
GREEN AREA PROVIDED			
GREEN AREA APPROVED FOR PLOT AREA 54814 SQ.MTR (O+P) (2.04 % OF TOTAL RESIDENTAIL AREA)	2461.37	SQM.	4.49
GREEN AREA APPROVED FOR PLOT AREA 65788 SQ.MTR. (PREVIOUS APPROVED GREEN AREA PODIUM+ SURFACE)	16016.28	SQM.	
GREEN AREA NEED TO REVISE FOR PLOT AREA 65788 SQ.MTR. (H+I +J+M+N+MISC)	5483.82	SQM.	
GREEN AREA ON PODIUM 65788 Sq.Mtr.(A + B+C+D+E+E1+F+G) (7.45 % OF TOTAL RESIDENTAIL AREA)	8990.11	SQM.	13.67
GREEN AREA ON SURFACE 65788 Sq.Mtr. (K+L+PROPOSED SURFACE GREEN AREA) (7.24 % OF TOTAL RESIDENTAIL AREA)	8450.65	SQM.	12.85
TOTAL GREEN AREA PROVIDED ON 120602 Sq.Mtr. PLOT AREA	19902.13	SQM.	16.50

For Cosmos Infra Engineering (India) Pvt. Ltd.

Directo

ARCHITECTS :

Shilpkar Architects Pvt. Ltd.
Sustainable Green Architecture

architects, engineers, valuers, project managers

OFF. - 909, 9th Fl., ILD Trade Centre, Sec.-47, Sohna Road, Gurgaon,
Ph. No. - 0124-4361909, 2217088
OFF. - Hotel Regency Complex Bhiwadi (Rajasthan)
Ph. No. - 01493-221766, 222652
OFF. - 307, 308, Central Plaza, CC2, EPID, Neemrana (Rajasthan)
e-mail - info@sapind.in, infoqan@sapind.in, informn@sapind.in

Cosmos Infra Engineering (India) Pvt. Ltd.

Architect Shailendra Singh Sengupta
B.Arch, C.A., F.I.V., A.I.I.D.
Regd. Architect
COA No.: 2008/4367

Authorized Signatory

Signature of Owner

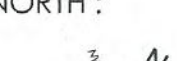
Signature of Architect

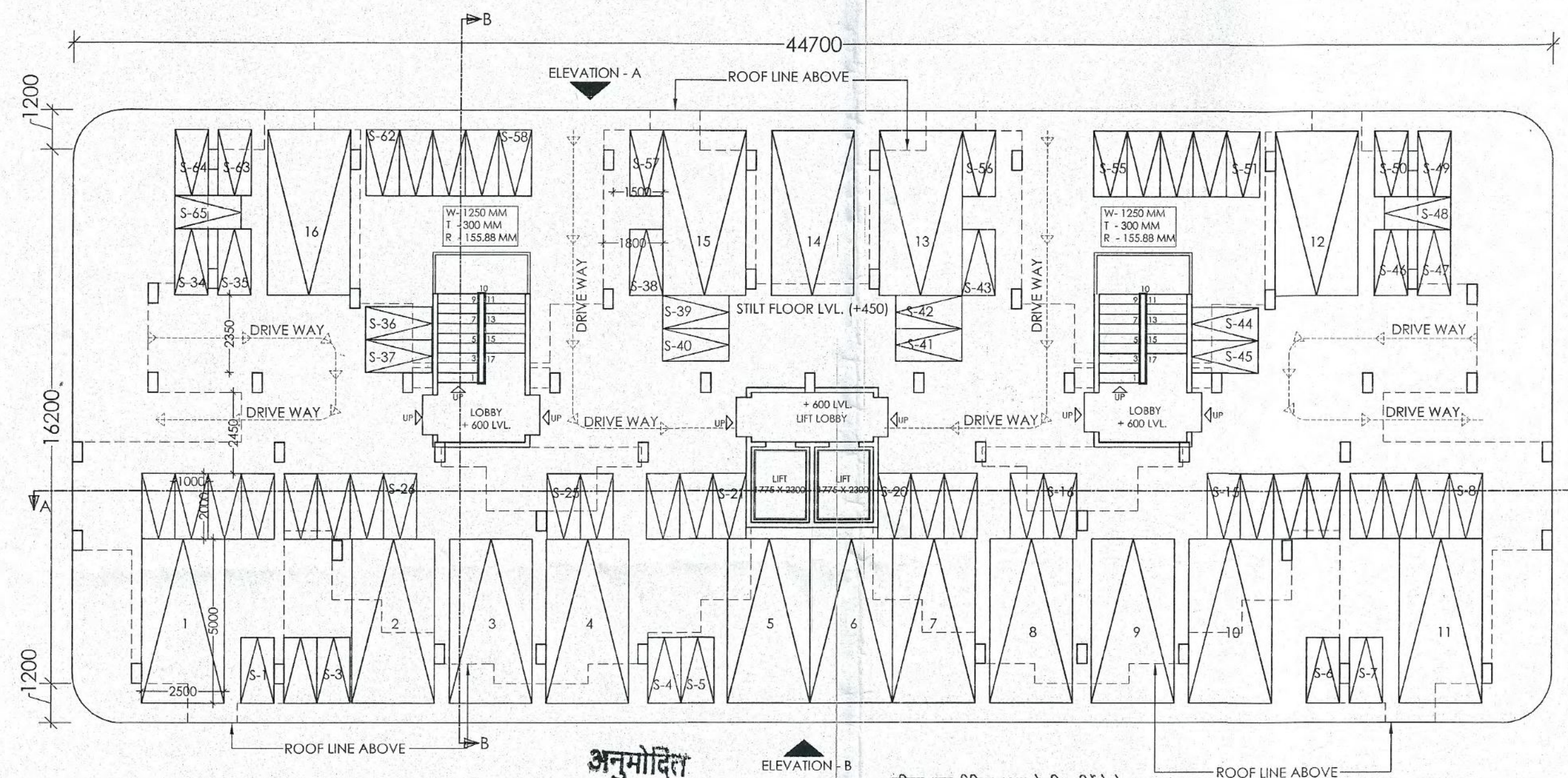
ADDRESS :

PROPOSED RESIDENTIAL GROUP HOUSING FOR
COSMOS GREENS OF M/S COSMOS INFRA
ENGINEERING (INDIA) LTD. & M/S INNOVATIVE
COLONISERS PVT. LTD. AT KHASRA NO.-518-527,
534-538, 543-551 VILL. SAIDPUR (BHIWADI),
DISTT.-ALWAR(RAJASTHAN)

SHEET TITLE :

GREEN AREA LAYOUT PLAN

TYPE : GREEN AREA PLAN	DATE : 30-05-2018	NORTH : 
SHEET NO : 03/08	SCALE : N.T.S.	



STILT LAYOUT PLAN

अनुमोदित

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, मल, नििकास
अग्नि शमन आदि सेवाये नेशनल बिल्डिंग कोड
ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के
प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को
सुनिश्चित किया जावेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006
की पालना में राज्य सरकार के परियोजना दिनांक
04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक
का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रभाव
पत्र" अनापति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया
जाना अनिवार्य होगा।

इस भवनचित्र का अनुमोदन किसी भी
भाति प्रशंगत भूमि/भूखण्ड के प्राति
स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना
जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व
सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

Applicants Should get the
construction checked at plinth
level before proceeding for
further construction.

एकलपुत्र भवन विनियम 2017 के दिनांकित के अनुसार
सर्वोच्च संख्या का प्रस्तावित भवन में विभिन्न प्रकार
रखा जावे अन्धरा रीहा शाय भवन निर्माण के लिए
निर्माणकर्ता को अनिवार्य है।

एकलपुत्र भवन विनियम 2017 के
दिनांकित के अनुसार शारीरिक रूप से
असक्षम व्यक्तियों के लिए प्रस्तावित भवन
में विशेष प्रावधान-रखा जावे अन्धरा रीहा शाय भवन निर्माण
के लिए अनिवार्य है।

Parking Area Will be Bida Property

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जावेगा।

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

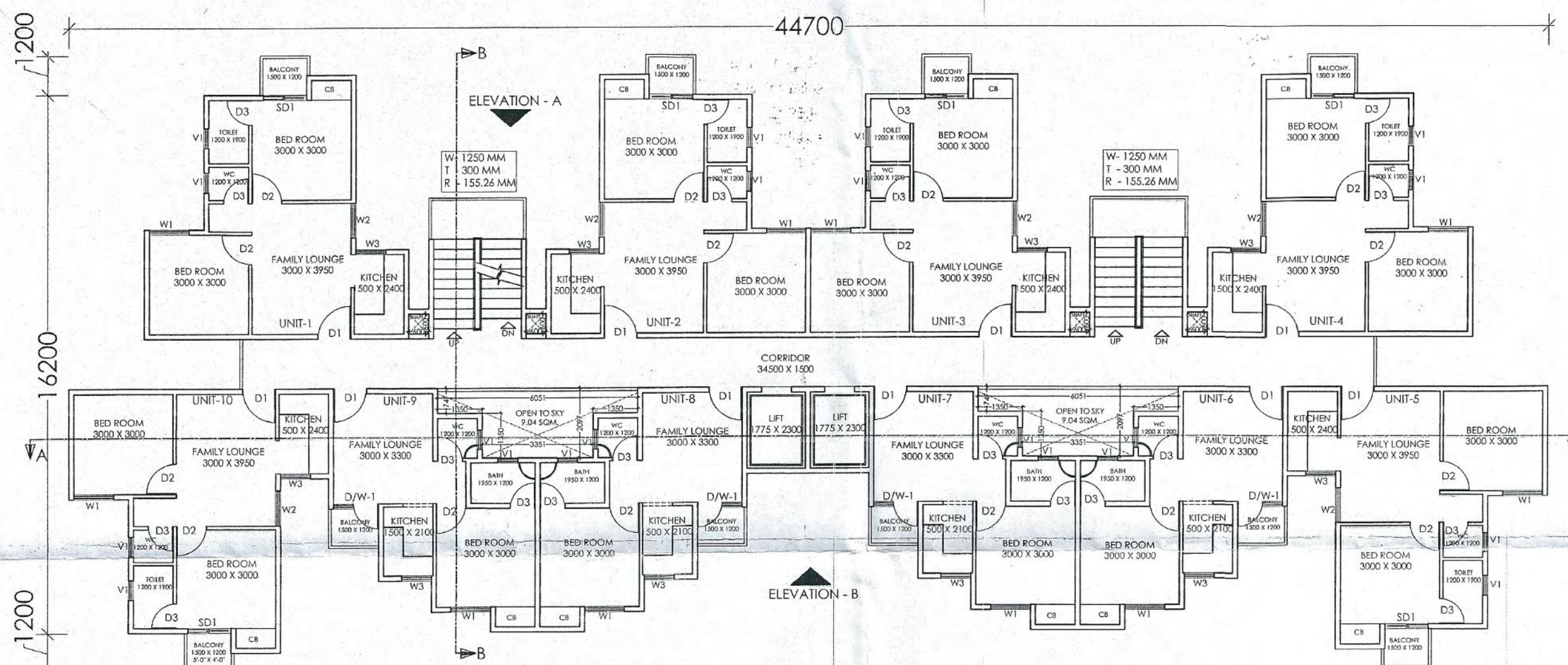
Rain Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per Rules.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में द्वाये
गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE)
का दायित्व प्राची का ही होगा।"

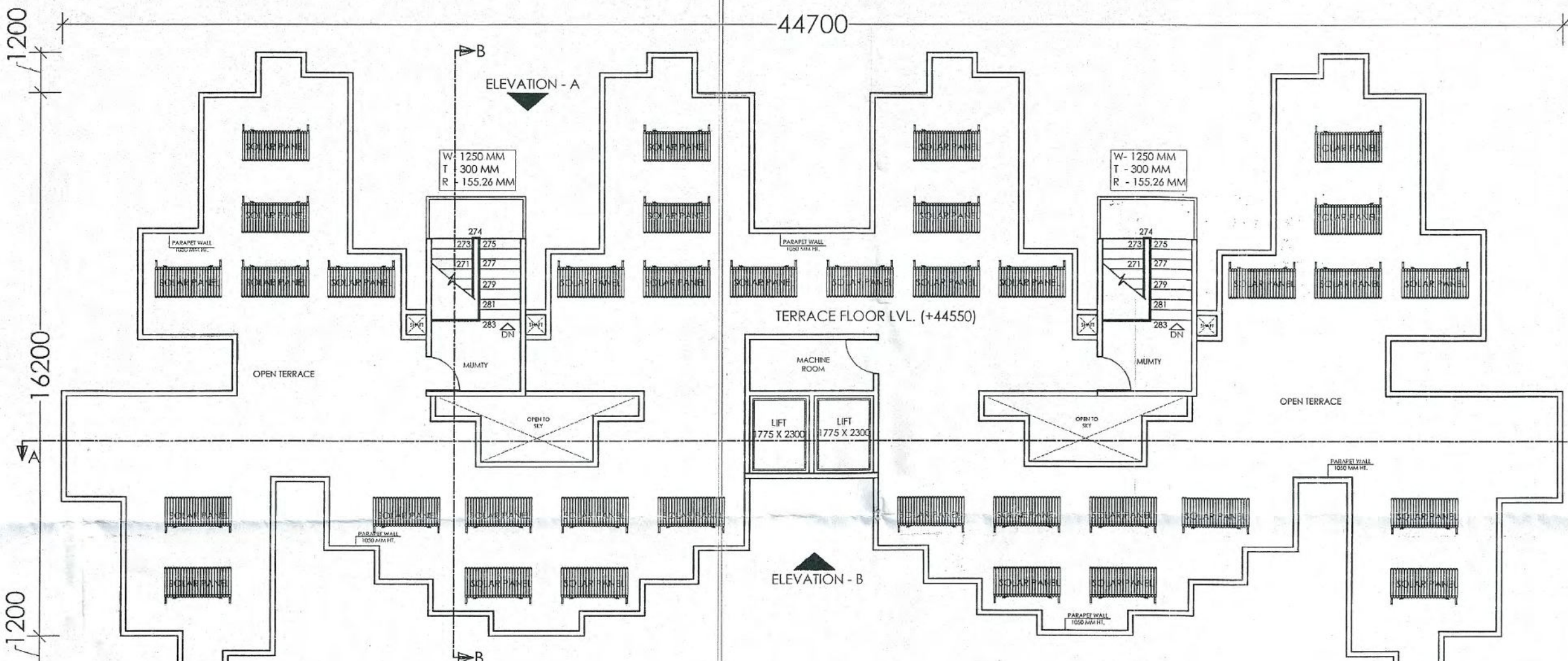
Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO YEAR
FROM DATE OF ISSUE

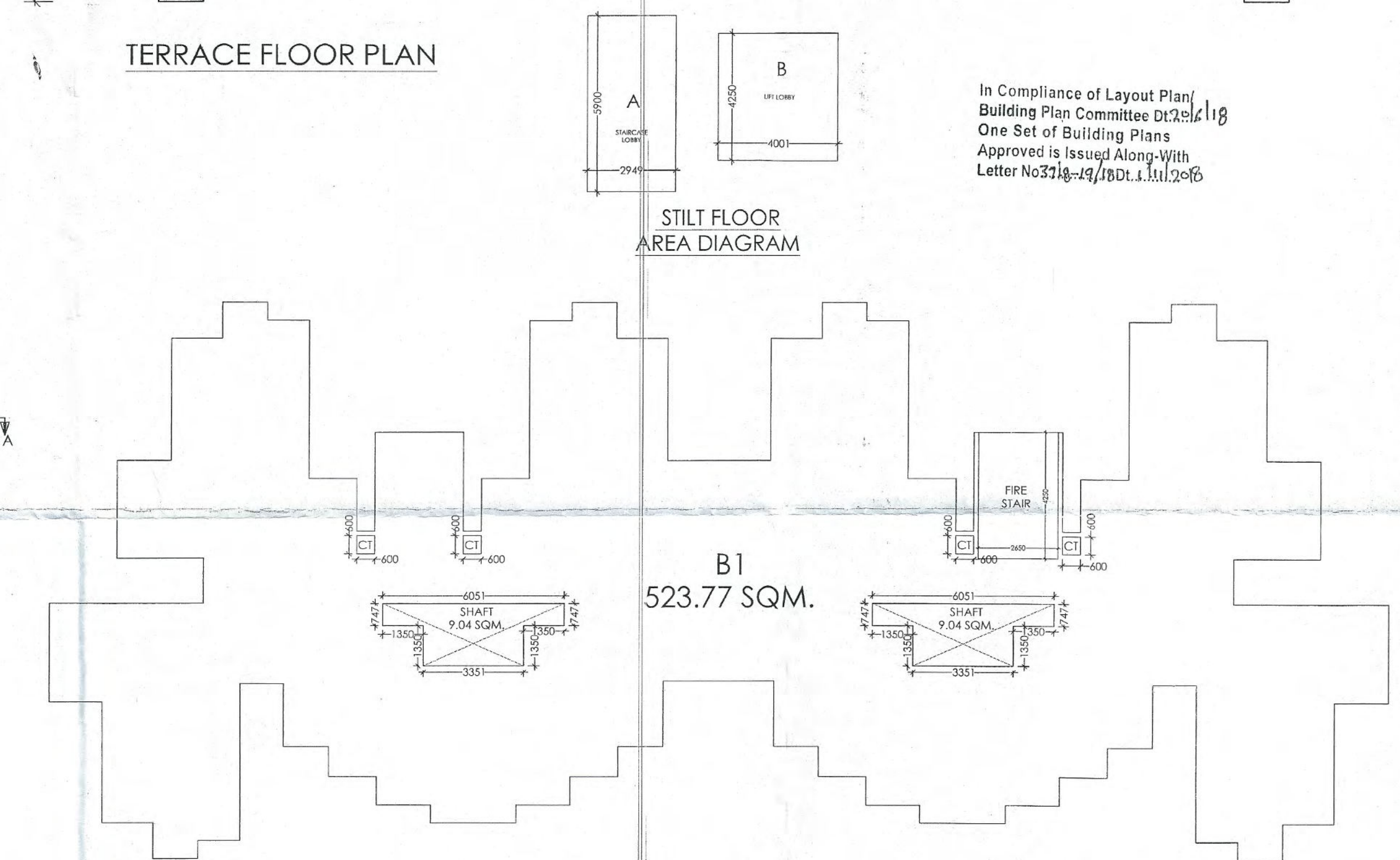


TYPICAL LAYOUT PLAN

FOUR & TWO WHEELERS PARKING DETAIL AT STILT FLOOR			
Sr. No.	CAR PARKING NOS.	TWO WHEELER PARKING NOS.	CAR PARKING SIZE IN MT.
1	01 TO 16	S-1 TO S-65	
TOTAL	16 NOS.	65 NOS.	



TERRACE FLOOR PLAN



AREA DIAGRAM
(TYPICAL FLOOR)

AREA STATEMENT TOWER 01-09 (1 & 2 BHK)						
STILT FLOOR (BAR AREA)						
S.NO.	SHAPE	LENGTH	WIDTH	AREA (SQMT.)	QTY. IN NOS.	AREA (SQMT.)
A	RECTANGULAR	2.949	5.900	17.399	1	17.399
B	RECTANGULAR	4.001	4.250	17.004	1	17.004
						34.403
1. TOTAL NET AREA = (A TO B)		34.403	SQMT.			
TYPICAL FLOOR						
S.NO.	SHAPE	LENGTH	WIDTH	AREA (SQMT.)	QTY. IN NOS.	AREA (SQMT.)
B1	LS	LS	LS	523.770	1	523.770
		TOTAL				523.770
2. TOTAL NET AREA = (B1)		523.770	SQMT.			
3. FIRE STAIR, SHAFT & CUT-OUTAREA (FREE FROM BAR)						
FIRE STAIR	RECTANGULAR	2.650	4.250	11.263	1	11.263
SHAFT	LS	LS	LS	9.040	2	18.080
CUT-OUT (CT)	RECTANGULAR	0.600	0.600	0.360	4	1.440
		SUB TOTAL				30.783
4. TOTAL AREA (FREE FROM BAR)						30.783
5. TOTAL AREA (BAR AREA)						
		TOTAL		(2-4)	492.988	
6. BAR AREA OF FLOOR	BAR AREA	NO. OF FLOORS	NO. OF BLOCKS	FLATS / FLOOR	TOTAL UNITS	TOTAL BAR AREA
TYP. FLOOR	492.988	14	1	10	140	6901.825
		TOTAL				6901.825

DOOR - WINDOW SCHEDULE				
MARK	WIDTH	HEIGHT	SILL	LINTEL
D1	1000	2450	00	2450
D2	900	2450	00	2450
D3	750	2450	00	2450
SD1	1300	2450	00	2450
D/W1	1350	2450/1700	00/750	2450
W1	1200	1700	750	2450
W2	1050	1700	750	2450
W3	900	1400	1050	2450
V1	600	600	1850	2450

ARCHITECTS :
Shilpkar Architects Pvt. Ltd.
Sustainable Green Architecture
architects, engineers, valuers, project managers
OFF. - 909, 9th Fl., ILD Trade Centre, Sec.-47, Sohna Road, Gurgaon,
Ph. No. - 0124-4361909, 2217088
OFF. - Hotel Regency Complex Bhiwadi (Rajasthan)
Ph. No. - 01493-221766, 222652
OFF. - 307, 308, Central Plaza, CC2, EPIP, Neemrana (Rajasthan)
e-mail - info@saplnd.in, info@saplnd.in, info@saplnd.in

Cosmos Infra Engineering (India) Pvt. Ltd.
Authorised Signatory
Signature of Owner
Architect Shalika Singh Sengar
B.Arch, M.C.A., F.I.V.A.I.I.D.
Signature of Architect
Cosmos Infra Engineering (India) Pvt. Ltd.

ADDRESS :
PROPOSED RESIDENTIAL GROUP HOUSING FOR
COSMOS GREENS OF M/S COSMOS INFRA
ENGINEERING (INDIA) LTD. & M/S INNOVATIVE
COLONISERS PVT. LTD. AT KHASRA NO.-518-527,
534-538, 543-551 VILL. SAIDPUR (BHIWADI), DISTT.-
ALWAR(RAJASTHAN)

SHEET TITLE :		
PLANS & AREA STATEMENT		
TYPE :	DATE :	NORTH :
TYPICAL TOWER (T-01 TO T-09)	30-05-2018	VARIABLE AS/ SITE PLAN
SHEET NO :	SCALE :	
07/08	N.T.S.	

बिदा नगर नियोजक
बिदा नगर विकास प्राधिकरण (बीदा)
बिदा नगर नियोजक
बिदा नगर विकास प्राधिकरण (बीदा)
Cosmos Infra Engineering (India) Pvt. Ltd.

अनुमोदित

विद्युत सेवा में नलकारी एवं,जल,मल,निकास
अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड
ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के
अनुसार किया जावेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006
की धारणा में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक
04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक
का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण
पत्र" अनावृत्ति प्रमाण पत्र अवैधक द्वारा प्राप्त किया
जाना अनिवार्य होगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी
भाति प्रशानगत भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति
स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना
जायेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व
सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होगा।

Applicants Should get the
construction checked at plinth
level before proceeding for
further construction.

Parking Area Will be Bida Property

भूखण्ड के क्षेत्रफल आदि
विषयों के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए
नियमावली के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

एकमुकुत भवन विनियम 2017 के
अनुसार निर्माण के अनुरोध के लिए प्रस्तावित भवन
में विशेष व्यवधान सेवा वाले अंगणवाड़ी द्वारा प्रदान की गई
के निर्माण नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जावेगा।

वेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

Rain Water Harvesting Unite
Shall be Provided as per Rules.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

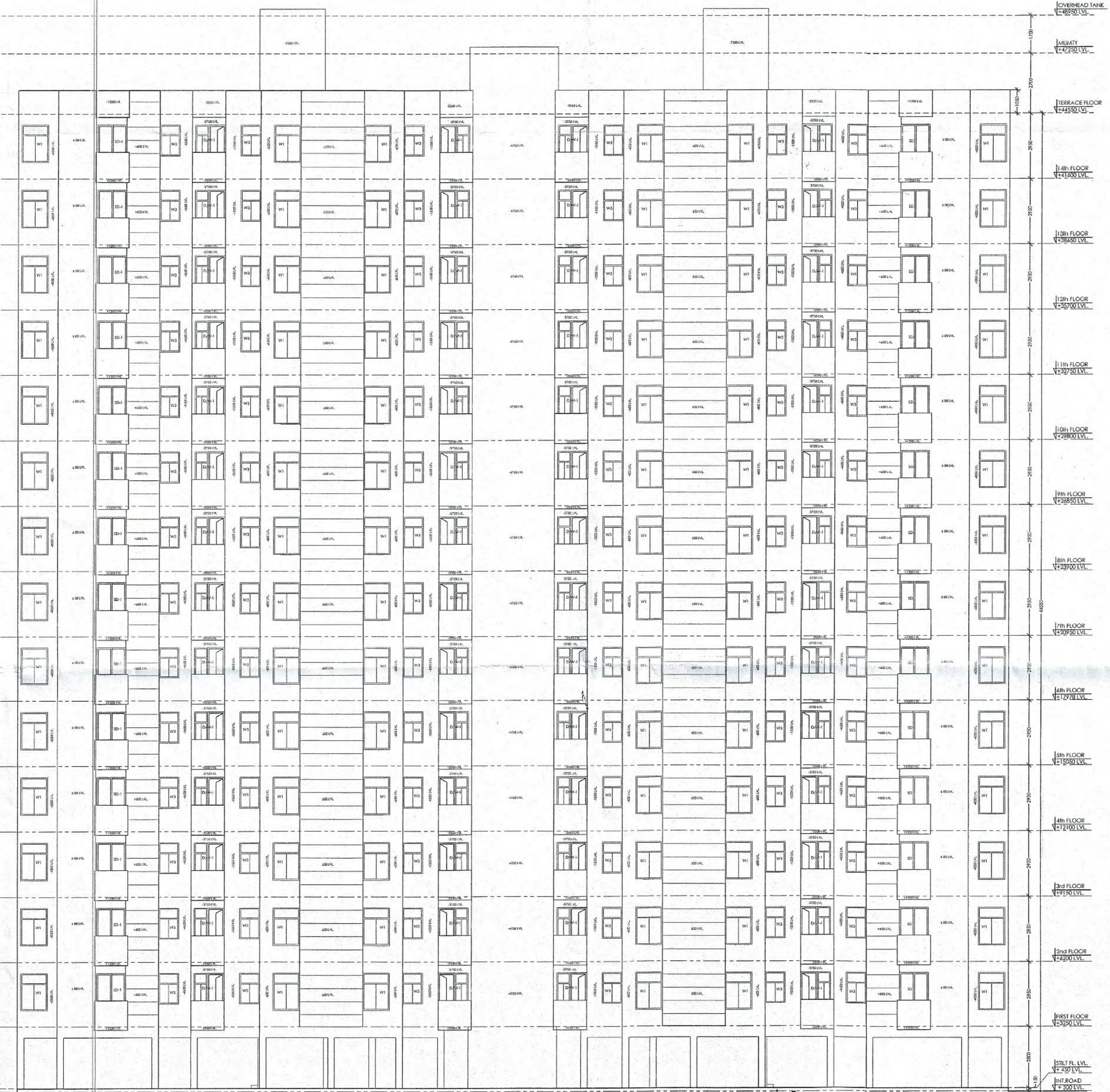
"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दर्शाये
गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE)
का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per M.B.C.
Norms.

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO YEAR
FROM DATE OF ISSUE



ELEVATION - A



ELEVATION - B

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 22.11.18
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along With
Letter No 3118-19/18/2018

प्रमुख नगर नियोजक
मिहारी इन्टीरियर विकास प्राधिकरण (बीड़ा)

वरिष्ठ नगर नियोजक
मिहारी इन्टीरियर विकास प्राधिकरण (बीड़ा)

For Cosmos (India) Pvt. Ltd.

Director

DOOR - WINDOW SCHEDULE				
MARK	WIDTH	HEIGHT	SILL	LINTEL
D1	1000	2450	00	2450
D2	900	2450	00	2450
D3	750	2450	00	2450
SD1	1300	2450	00	2450
D/W1	1350	2450/1700	00/750	2450
W1	1200	1700	750	2450
W2	1050	1700	750	2450
W3	900	1400	1050	2450
V1	600	600	1850	2450

ARCHITECTS :
Sapil Shilpkar Architects Pvt. Ltd.
Sustainable Green Architecture
architects, engineers, valuers, project managers
OFF. - 999, 9th Fl., I.L.D Trade Centre, Sec.-47, Sohna Road, Gurgaon,
Ph. No. - 0124-4361909, 2217088
OFF. - Hotel Regency Complex Bhiwadi (Rajasthan)
Ph. No. - 01493-221766, 222652
OFF. - 307, 308, Central Plaza, CC2, EPIP, Neemrana (Rajasthan)
e-mail - info@sapilind.in, infogn@sapilind.in, informn@sapilind.in

Cosmos Infra Engineering (India) Pvt. Ltd.

Authorised Signatory
Signature of Owner

Architect Signature
Signature of Architect
GOA No.: 2008/43675

ADDRESS :
PROPOSED RESIDENTIAL GROUP HOUSING FOR
COSMOS GREENS OF M/S COSMOS INFRA
ENGINEERING (INDIA) LTD. & M/S INNOVATIVE
COLONISERS PVT. LTD. AT KHASRA NO.-518-527,
534-538, 543-551 VILL. SAIDPUR (BHIWADI),
DISTT.-ALWAR(RAJASTHAN)

SECTIONS		
TYPE : TYPICAL TOWER (T-01 TO T-09)	DATE : 30-05-2018	NORTH :
SHEET NO : 06/08	SCALE : N.T.S.	VARIABLE AS/ SITE PLAN

अनुमोदित

बिद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, मल, निकास
अग्नि शमन आदि सेवाये नेशनल बिल्डिंग कोड
आफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के
प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को
सुनिश्चित किया जायेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.04.2006
की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक
04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक
का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "परमिटिंग प्रणाली
पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया
जाना अनिवार्य होगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी
भाति प्रशानगत भूमि/भूखण्ड के प्राति
स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना
जायेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व
सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होगा।

Applicant Should get the
construction checked at plinth
level before proceeding for
further construction.

इसके लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए
आवेदक को अपने भवन निर्माण के लिए
आवेदन पत्र में इस मानचित्र को संलग्न करना
होगा।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Parking Area Will be Bida Property

मेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

सभी जल संचयन प्रणालियाँ
अनुमोदित होनी चाहिए।

Rain Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per Rules.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दर्शाये
गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE)
का दायित्व प्राप्ति का ही होगा।"

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO
YEAR
FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 26/11/18
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No. 3118/18 dt. 11/11/18

DOOR - WINDOW SCHEDULE				
MARK	WIDTH	HEIGHT	SILL	LINTEL
D1	1000	2450	00	2450
D2	900	2450	00	2450
D3	750	2450	00	2450
SD1	1300	2450	00	2450
D/W1	1350	2450/1700	00/750	2450
W1	1200	1700	750	2450
W2	1050	1700	750	2450
W3	900	1400	1050	2450
V1	600	600	1850	2450

ARCHITECTS :
Sa Shilpkar Architects Pvt. Ltd.
Sustainable Green Architecture
architects, engineers, valuers, project managers
OFF. - 909, 9th Fl., ILD Trade Centre, Sec.-47, Sohna Road, Gurgaon,
Ph. No. - 0124-4361909, 2217068
OFF. - Hotel Regency Complex Bhiwadi (Rajasthan)
Ph. No. - 01493-221766, 222652
OFF. - 307, 308, Central Plaza, CC2, EPIP, Neemrana (Rajasthan)
e-mail - info@saplind.in, info@saplind.in, info@saplind.in

Cosmos Infra Engineering (India) Pvt. Ltd.
Authorised Signatory
Signature of Owner
Architect Shalika Singh Sengar
B.Arch, A.E.I.T., A.I.D.
Signature of Architect
COA No. 2009/43676

ADDRESS :
PROPOSED RESIDENTIAL GROUP HOUSING FOR
COSMOS GREENS OF M/S COSMOS INFRA
ENGINEERING (INDIA) LTD. & M/S INNOVATIVE
COLONISERS PVT. LTD. AT KHASRA NO.-518-527,
534-538, 543-551 VILL. SAIDPUR (BHIWADI), DISTT.-
ALWAR(RAJASTHAN)

SHEET TITLE :		
SECTIONS		
TYPE : TYPICAL TOWER (T-01 TO T-09)	DATE : 30-05-2018	NORTH :
SHEET NO : 05/08	SCALE : N.T.S.	VARIABLE AS/ SITE PLAN



SECTION - AA

संस्था सेनी
राजस्थान नगर नियोजक
भिववाड़ी इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास प्राधिकरण (बीडी)
For Cosmos Infra Engineering (India) Pvt. Ltd.
Director

अनुमोदित

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, मल, निकास
अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड
ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के
प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को
सुनिश्चित किया जावेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006
की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक
04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक
का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रभाव
पत्र" अनापूर्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया
जाना अनिवार्य होगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी
भांति प्रशन्नगत भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति
स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना
जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व
सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

17400

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दर्शाये
गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE)
का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

CLUB HOUSE
17400 X 17000 (O/O)

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.

FLOOR PLAN

2000 WIDE PROJECTION

Applicants Should get the
construction checked at plinth
level before proceeding for
further construction.

एकीकृत भवन विनियम 2017 के दिशा निर्देशों के अनुसार
वर्षाजल संग्रहण का प्रस्ताविक भवन में विशेष प्रावधान
रखा जावे अन्यथा बीडा द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध
नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी

Parking Area Will be Bida Property

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जावेगा।

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

Rain Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per Rules.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

FRONT ELEVATION

SIDE ELEVATION

SECTION-AA

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO YEAR
FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 26/11/2018
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along With
Letter No. 3718-19/18 dt. 11.11.2018

निवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीड़ा)

वरिष्ठ नगर नियोजक
निवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीड़ा)

For Cosmos Infra Engineering (India) Pvt. Ltd.

Director

DOOR - WINDOW SCHEDULE				
MARK	WIDTH	HEIGHT	SILL	LINTEL
D	2000	2450	00	2450
D1	1500	2450	00	2450
D2	900	2450	00	2450
W	3000	1550	900	2450
W1	1250	1550	900	2450
V	1500	600	1850	2450

ARCHITECTS :
sa Shilpkar Architects Pvt. Ltd.
Sustainable Green Architecture

architects, engineers, valuers, project managers
OFF. - 909, 9th Fl., ILD Trade Centre, Sec.-47, Sohna Road, Gurgaon,
Ph. No. - 0124-4361909, 2217088
OFF. - Hotel Regency Complex Bhiwadi (Rajasthan)
Ph. No. - 01493-221766, 222652
OFF. - 307, 308, Central Plaza, CC2, EPIP, Neemrana (Rajasthan)
e-mail - info@saplnd.in, infoeng@saplnd.in, infoval@saplnd.in

Cosmos Infra Engineering (India) Pvt. Ltd.
Architect Shalish Singh Sengar
B Arch, C.A., F.I.V., A.I.I.D.
Regd. Architect
COA No.: 2008/43675

ADDRESS :
PROPOSED RESIDENTIAL GROUP HOUSING FOR
COSMOS GREENS OF M/S COSMOS INFRA
ENGINEERING (INDIA) LTD. & M/S INNOVATIVE
COLONISERS PVT. LTD. AT KHASRA NO.-518-527,
534-538, 543-551 VILL. SAIDPUR (BHIWADI), DISTT.-
ALWAR(RAJASTHAN)

SHEET TITLE :
CLUB HOUSE PLAN, SECTION
& ELEVATION

TYPE :	DATE :	NORTH :
CLUB HOUSE	30-05-2018	VARIABLE AS/ SITE PLAN
SHEET NO :	SCALE :	
08/08	N.T.S.	